

Uttanchal Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttanchal Undertaking) H.R.

'URJA BHAWAN', Kanwali,

DEHRADUN - 248001

Tel 91-135-2763901

FAX-91-135-2763867



उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०

[उत्तरांचल सरकार का उपकन] मा०सं०

'ऊर्जा भवन', कांवाली

देहरादून-248001

दूरभाष-91.135.2763901

फैक्स-91-135-2763867

संख्या- 69 नि०(मा०सं०)/केबी-ओ/पेंशन

दिनांक- 10/2/03

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कार्य-हित में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत समस्त कॉमन कैंडर के कार्मिकों, जिनके पेंशनरी हितलाभों की स्वीकृतियां पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) द्वारा निर्गत होने के उपरान्त मुख्य लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (पेंशन) द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जाते थे के सापेक्ष उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में इस प्रकार पेंशनरी हित लाभों की स्वीकृतियों के लिये अग्रिम आदेशों तक निदेशक मानव संसाधन, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० को प्राधिकृत किये जाता है।

इसी प्रकार उप मुख्य लेखाधिकारी, आंचलिक लेखा कार्यालय गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून एवं उप मुख्य लेखाधिकारी, आंचलिक लेखा कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र, हल्द्वानी को पेंशन आदि सम्बन्धी पी०पी०ओ०/जी०पी०ओ०/सी०पी०ओ० एवं तत्सम्बन्धी अन्य आदेशों को अपने स्तर से निर्गत करने हेतु अधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० में दिनांक 01-01-2003 से प्रभावी होंगे।

अशोक राजन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 69 - मप्र(कार्मिक)/केबी-ओ/तदिनांक 17/2/03

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उपाकालि, देहरादून।
- 3- निदेशक(कार्मिक), उत्तर प्रदेश पाकालि, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 4- निदेशक(वित्त/परिचालन), उपाकालि, देहरादून।
- 5- समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि।
- 6- समस्त उप महाप्रबन्धक, उपाकालि।
- 7- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उपाकालि।
- 8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
- 9- कट फाईल/ कार्यालय ज्ञाप पंजिका

(आर०ए०शमा०)
निदेशक(मा०सं०)



पत्रांक :-

निदेश(मा0सं0)/उपाकालि

दिनांक :- 22/01/05

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन में कॉमन कैंडर के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के निस्तार की व्यवस्था से सम्बन्धित उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप-69 निदेश(मा०सं०)/केबी-ओ/पेंशन, दिनांक 17.02.2003 में अंशिक संशोधन करते हुए उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि० के समस्त संवर्ग एवं श्रेणी के अधिकारियों तथा अवर अभियन्ताओं के सेवानिवृत्तिक देयकों के निस्तारण विषयक कार्यवाही हेतु उपमुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय) के नियन्त्रणाधीन तद्व्यवस्था तत्काल प्रभाव से एक पेंशन सैल का गठन किया जाता है जिसमें आवश्यकतानुसार लेखा कार्मिकों की तैनाती की जायेगी। कॉमन कैंडर के अथवा कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही अगले आदेशों तक कारपोरेशन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं०- 69 निदेश(मा०सं०)/केबी-ओ/पेंशन, दिनांक 17.02.2003 के तहत सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा ही की जायेगी। कॉमन कैंडर के समस्त कार्मिकों के पेंशनरी हित लाभों की स्वीकृतियों हेतु प्रशासनिक अनुमति पूर्ववत् निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा ही दी जायेगी।

इस आदेश की निर्गमन के तिथि के पूर्व वर्तमान में अधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं के पेंशन आदि से सम्बन्धित जो प्रकरण क्षेत्रीय लेखाकारों के विचाराधीन हैं उनका निस्तारण क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा ही किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पत्रांक :- 269 - निदेश(मा०सं०)/उपाकालि/तददिनांक :-

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि०, देहरादून।
4. निदेशक (हकदारी एवं पेंशन), उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक (वितरण/पारपण), गढ़वाल/पर्वतीय क्षेत्र, उपाकालि/पिटकुल, देहरादून/हल्द्वानी।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
7. कम्पनी सचिव, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण), परिक्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/हल्द्वानी।
9. उपनिदेशक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
10. उपमुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ कि मुख्यालय पेंशन सैल में कार्मिकों की तैनाती विषयक प्रस्ताव निदेशक (वित्त) को तत्काल प्रस्तुत करें।
11. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
13. कार्मिक संसाधन - A/B/C/उपाकालि, देहरादून।
14. कार्मिक संसाधन - A/B/C/उपाकालि, देहरादून।
15. कार्मिक संसाधन - A/B/C/उपाकालि, देहरादून।

Shri Dhyani / Shri Negi / Shri Baloon / Shri Tejpal Singh

27.01.05

Signature
अध्यक्ष